निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 61 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़ के माह 04/2013 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय कुमार एवं श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,एवं श्री अंकित पांडे लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11/10/2018 से 16/10/2018 तक .....वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-।

(ii) **परिचयात्मकः** प्रथम लेखा परीक्षा है।

(iii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सिचाई खंड, पिथौरागढ़, सिचाई खंड, थारचूला एवं सिचाई खंड से संबंधित कार्य क्षेत्र ।

(iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2013-14			31.59	30.13				1.46		
2014-15			54.94	54.93				.000622		
2015-16	-	-	62.25	55.10				7.14		
2016-17	-	-	72.19	71.35				.83		
2017-18	-	-	81.39	75.77				5.62		
2018-19 (09/2018)			68.90	45.90				---		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव , उत्तराखंड शासन
2. प्रमुख अभियंता, सिचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
3. मुख्य अभियंता, स्तर-2 , सिचाई अल्मोड़ा
4. अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018, 08/2016 एवं 08/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -II(ब)

प्रस्तर-1 <u>ठेकेदार को अर्थदण्ड का लाभ देने हेतु अधिकारों का दुरुपयोग किया जाना !</u>

As per ID Form 111, conditions of contract, Clause 5(A), The extension of time up to 50% of the stipulated period or 6 months whichever is less shall be considered and accorded by the officer accepting the tender and the extension beyond this period shall be sanctioned by next higher authority over the authority accepting the tender.

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि एस एस आर (SSR) मद के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के मल्लब्लोवाकोट मे बाड़ सुरक्षा कार्य के निष्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, कार्य मण्डल, पिथौरागढ़ द्वारा रु0 4.13 करोड़ का अनुबन्ध संख्या 3/SE/2014-15 गठित किया गया था । जिसमें कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि 20.07.2015 थी परंतु ठेकेदार द्वारा कार्य दिनांक 03.03.2016 यानि 7 माह से अधिक समय विलम्ब से कार्य पूरा किया । चूंकि ठेकेदार द्वारा कार्य 6 माह से अधिक विलम्ब से पूरा किया गया था, इस कारण समय वृद्धि उच्च अधिकारी (Next higher authority) द्वारा स्वीकृति कराना था (ID Form 111, conditions of contract Clause 5(A), परंतु अधीक्षण अभियन्ता, कार्य मण्डल, पिथौरागढ़ द्वारा ठेकेदार को अर्थदण्ड से बचाने हेतु स्वयं ही ठेकेदार को समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की ।

उक्त प्रकरण लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान मे लाये जाने पर अधीक्षण अभियेन्ता कार्य मण्डल पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि " यह कार्य समाप्त हो चुका है ! भविष्य में अनुपालना की जाए गी"!

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि अधीक्षण अभियन्ता, कार्य मण्डल, पिथौरागढ़ द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये ठेकेदार को अर्थदण्ड का लाभ देने हेतु स्वयं ही समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जिसके कारण ठेकेदार से अनुमानित लागत रु0 4.13 करोड़ का 10%(अधिकतम) यानि रु0 41.30 लाख अर्थदण्ड के रूप में वसूली जाने वाली धनराशि की हानि शासन को हुई !

अतः उक्त प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 1: खंडों का निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 71 एवं Irrigation Manual के अनुसार "Superintending Engineer will also inspect the divisional offices under him at least once a year, and will forward for information of the Chief Engineer reports of his inspections in the prescribed form, detailing therein the results of his examination of initial accounts, accounts of stock, tools and plant and stock manufacture, register of works, and other divisional accounts and papers, mode of preparation of estimates contracts, agreements, contracts, agreements, contractors accounts, revenue registers and office work generally".

अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में देखा गया कि कार्यालय के गठन माह 04/2013 से लेखा परीक्षा तिथि (अक्टूबर 2018) तक अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़ द्वारा अधीनस्थ खंडों का कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया था।

उक्त प्रकरण लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान मे लाने पर अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय गठन से अब तक समयाभाव के कारण किसी भी खंड का निरीक्षण नहीं किया गया है, खण्डो मे चल रहे कार्यो का समय-समय पर निरक्षण किया गया है । भविष्य मे नियम की अनुपालना करते हुए खंडीय कार्यालयो का निरीक्षण किया जायेगा। उत्तर से ही स्पष्ट हो जाता है कि अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत 5 वर्षो से खण्डो का कोई भी निरीक्षण नही किया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री डी. एस. कुटियाल	अधी. अभि.	01/04/13 से 18/12/13 तक।
2.	श्री जीवन चन्द्र जौशी	अधी. अभि.	19/12/13 से 27/10/16 तक।
3.	श्री पी. के. दीक्षित	अधी. अभि.	28/10/16 से 02/07/17 तक।
4.	श्री डी. एस. कुटियाल	अधी. अभि.	03/07/17 से 24/10/17 तक।
5.	श्री पी. के. दीक्षित	अधी. अभि.	25/10/17 से 30/07/18 तक।
6.	श्री एम. सी. पाण्डेय	अधी. अभि.	31/07/18 से 27/09/18 तक।
7.	श्री पी. के. दीक्षित	अधी. अभि.	28/09/18 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II